न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 10/2020(2020/00312)

अनवान : –

1. ज्ञानसिंह पुत्र लादूराम जाति जाट पड़गड़ निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. भूपसिंह पुत्र लादूराम जाति जाट पड़गड़ निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
3. राजेन्द्र पुत्र लादूराम जाति जाट पड़गड़ निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भागीरथ पुत्र लादूराम जाति जाट पड़गड़ निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. महेन्द्र पुत्र लादूराम जाति जाट पड़गड़ निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
3. सोहनलाल पुत्र लादूराम जाति जाट पड़गड़ निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
4. कृष्ण कुमार पुत्र लादूराम जाति जाट पड़गड़ निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
5. कमला पुत्री लादूराम जाति जाट पड़गड़ निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 को0 कन्डीशन सपठित
धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री राजेन्द्र गोयल **प्रार्थी**
श्री रविन्द्र मोठसरा **अप्रार्थी**

आदेश दिनांक : 20/10/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता सं 88/107 के मु0न0 82 के किला न0 8, 17, 23 इस प्रकार कुल 0.759 हैक्टेयर नहरी खातेदारी कृषि भूमि भागीरथ, महेन्द्रसिंह, भूपसिंह, राजेन्द्र, सोहनलाल, ज्ञानसिंह, कृष्ण कुमार, कमला बहिस्सा बराबर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

चक 1 बीबीएम के खाता संख्या 21/26 के मुरब्बा नम्बर 82 के किला न0 18 ता 21 इस प्रकार कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी ज्ञानसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 1 बीबीएम के खाता संख्या 2/2 के मुरब्बा नम्बर 82 के किला नम्बर 24, 25 इस प्रकार कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी प्रार्थी संख्या 3 अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 2 बीबीएम के खाता संख्या 72/74 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 3, 4, 7, 14, इस प्रकार कुल 1.012 हैक्टेयर भूपसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 1 बीबीएम के खाता संख्या 57/65 के मुरब्बा नम्बर 82 के किला नम्बर 13, 14, 15, 16 इस प्रकार कुल 1.012 हैक्टेयर भागीरथ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 10/2020 ज्ञानसिंह आदि बनाम भागीरथ आदि बाबत रास्ता

प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 82 के किला नम्बर 14 व 17 के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण की ओर से आवागमन करते आ रहे है। इसके अलावा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन के लिये अन्य कोई रास्ता स्वीकृत अथवा चालू नही है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2021 कैम्प स्थल साहूवाला में फर्द मौका पर सभी पक्षकारानों की सहमति प्रदान कर फर्द मौका के अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि सभी पक्षकारान रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु सहमत है। फर्द मौका के अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया जाकर एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फर्द मौका के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 2 बीबीएम के मुरब्बा नम्बर 82 के किला नम्बर 12 के पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर 8–1/4 फीट, किला नम्बर 13 के पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर 8–1/4 फीट, किला नम्बर 18 के पश्चिम की तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर 8–1/4 फीट, मुरब्बा नम्बर 82 के किला नम्बर 22 के पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर, चक 1 बीबीएम के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 3 के उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर 8–1/4 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज किया जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड, हॉल जमाबन्दी एवं नक्शा में किया जावें। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़